

# कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, देवली (टोंक)

निसल संख्या - 46/2021

निर्णय दिनांक :- 11/3/2021

उनवानी प्रार्थना पत्र -

1. मु० सोहनी पत्नी मन्ना जाति माली निवासी देवलीगांव तहसील देवली जिला टोंक राज०
2. लीला देवी पत्नी स्व० नन्दा जाति माली निवासी देवलीगांव तहसील देवली जिला टोंक राज०
3. करिश्मा पुत्री नन्दा नाबालिग जरिए संरक्षक सरपरस्त माता लीला देवी पत्नी स्व० नन्दा जाति माली निवासी देवलीगांव तहसील देवली जिला टोंक राज०
4. वन्दना पुत्री नन्दा नाबालिग जरिए संरक्षक सरपरस्त माता लीला देवी पत्नी स्व० नन्दा जाति माली निवासी देवलीगांव तहसील देवली जिला टोंक राज०
5. विकास पुत्र नन्दा नाबालिग जरिए संरक्षक सरपरस्त माता लीला देवी पत्नी स्व० नन्दा जाति माली निवासी देवलीगांव तहसील देवली जिला टोंक राज०

-प्रार्थी पक्ष

बनाम

तहसीलदार देवली जिला टोंक राज०

-अप्रार्थी पक्ष

प्रार्थना पत्र पत्थरगढी बाबत अन्तर्गत धारा 128 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट

आदेश

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया, अधिवक्ता प्रार्थी को सुना गया। तहसीलदार देवली की रिपोर्ट अनुसार आराजी खाता संख्या 1404 खसरा नम्बर 3387 रकबा 0.22 है०, खसरा नम्बर 5615/3381 रकबा 0.39 है०, खसरा नम्बर 5617/3386 रकबा 0.05 है०, खसरा नम्बर 5618/3388 रकबा 0.16 है० खसरा नम्बर 5619/3390 रकबा 0.22 है०, खसरा नम्बर 5620/3474 रकबा 0.73 है० वाके ग्राम देवलीगांव (पटवार हल्का देवलीगांव) तहसील देवली जिला टोंक प्रार्थी पक्ष की खातेदारी व कब्जेकाशत की आराजी भूमी है। है। उक्त भूमि पर किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं है व पडोसी खातेदारों से सीमा विवाद है, परन्तु अधिवक्ता प्रार्थी के कथनानुसार किसी भी पडोसी खातेदार से विवाद नहीं है।

अतः जमाबंदी संवत् 2074-77 में अंकित आराजी खाता संख्या 1404 खसरा नम्बर 3387 रकबा 0.22 है०, खसरा नम्बर 5615/3381 रकबा 0.39 है०, खसरा नम्बर 5617/3386 रकबा 0.05 है०, खसरा नम्बर 5618/3388 रकबा 0.16 है० खसरा नम्बर 5619/3390 रकबा 0.22 है०, खसरा नम्बर 5620/3474 रकबा 0.73 है० वाके ग्राम देवलीगांव की विधिवत् पत्थरगढी की जाने हेतु तहसीलदार देवली को मौका कमीशनर बनाया जाता है और मौका कमीशनर फीस 1000/- रू० निर्धारित की जाकर एतद्द्वारा आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी से पत्थरगढी कॉस्ट राशि नियमानुसार सीमाज्ञान शुल्क जमाकर उक्तानुसार पालना की जावे।

निर्णय खुल न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल की जाती है।

  
उपखण्ड अधिकारी  
देवली